



# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४७) काठमाडौं असोज २० गते २०५४ साल (अतिरिक्ताङ्क ३३)

## भाग २

श्री ५ को सरकार

### कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको छव्विसौ वर्षमा संसदले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

२०५४ सालको ऐन नं. ९

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि  
विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम  
नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी  
त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम  
प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय  
सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु  
परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री  
श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा  
समरविजयिनाम् । कता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



आर्थिक वर्ष २०५४।५५ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : आर्थिक वर्ष २०५४।५५ का सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम : यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०५४" रहेकोछ ।
२. आर्थिक वर्ष २०५४।५५ को निमित्त सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार : आर्थिक वर्ष २०५४।५५ को निमित्त अनुसूची -१ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेख गरिएका निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त सोही अनुसूचीको महल ४ को साधारण खर्चको र महल ५ को विकास खर्चको महल ६ मा उल्लिखित जम्मा रु. ५३,६५,००,८९,०००/- (त्रिपन्न अरब पैसठ्ठी करोड उनान्नब्बे हजार) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।
३. विनियोजन : (१) यो ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०५४।५५ को निमित्त अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेख गरिएका निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

५७४

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लेख गरिएका निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सकिनेछ । यसरी सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० (दश) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ । विकास खर्च तर्फ विनियोजित रकम साधारण खर्च तर्फ सार्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुदान संख्या ८६ देखि ९५ सम्म विनियोजन भएको रकम अनुदान संख्या ११ देखि ९५ सम्मको जुन जुन अनुदान संख्यामा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान संख्यामा जतिसुकै रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन बाधा पर्ने छैन ।



अनुसूची-१

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १           | २             | ३                                           | ४                                            |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | शीर्षकको नाम                                | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम (रु. हजारमा) |
| १           | ११            | श्री ५ महाराजाधिराज, राजपरिवार तथा राजदरवार | ७३४१०                                        |
| २           | १२            | राजपरिषद्                                   | ५८०२                                         |
| ३           | १३            | संसद                                        | ३०२६                                         |
| ४           | १४-३-११०      | सर्वोच्च अदालत                              | २६१५६                                        |



|    |          |                                                 |         |
|----|----------|-------------------------------------------------|---------|
| ५  | १५       | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग                | ६६३३    |
| ६  | १६       | महालेखा परीक्षकको विभाग                         | ३२७३२   |
| ७  | १७       | लोक सेवा आयोग                                   | ४०८२२   |
| ८  | १८       | निर्वाचन आयोग                                   | ११९२४   |
| ९  | ८१       | अर्थ मन्त्रालय-आन्तरिक ऋण भुक्तानी              | ४२०३२०० |
| १० | ८२       | अर्थ मन्त्रालय-वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय)  | २९००००० |
| ११ | ८३       | अर्थ मन्त्रालय-वैदेशिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय) | १०६६५०० |
| १२ | ९५-३-५४० | अर्थ मन्त्रालय विविध-दण्ड जरिवाना फिर्ता        | २०००    |
|    |          | जम्मा                                           | ८३७२२०५ |



अनुसूची-२  
ढुफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                           | ४                                          | ५                                         | ६                                |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | शीर्षकको नाम                | साधारण खर्चतर्फ विनियोजित रकम (रु. हजारमा) | विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकम (रु. हजारमा) | जम्मा विनियोजित रकम (रु. हजारमा) |
| १           | १३            | संसद                        | १२३७७८                                     |                                           | १२३७७८                           |
| २           | १४            | अदालत                       | २२३७३७                                     |                                           | २२३७३७                           |
| ३           | १६            | महालेखा परीक्षकको विभाग     |                                            | १५००                                      | १५००                             |
| ४           | १७            | लोक सेवा आयोग               |                                            | ३०००                                      | ३०००                             |
| ५           | १८            | निर्वाचन आयोग               | ३३०००                                      |                                           | ३३०००                            |
| ६           | १९            | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ४७४९७                                      |                                           | ४७४९७                            |
| ७           | २०            | न्याय परिषद्                | १५५६                                       |                                           | १५५६                             |

आधिकारिकता मुद्रण (सि) गबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



|    |    |                                    |         |         |
|----|----|------------------------------------|---------|---------|
| ८  | २५ | प्रधानमन्त्रीको कार्यालय           | ७६३४    | ७६३४    |
| ९  | २६ | उप-प्रधानमन्त्रीको कार्यालय        | ३११५    | ३११५    |
| १० | ३० | मन्त्रिपरिषद्                      | २९७१३   | २९७१३   |
| ११ | ३५ | अर्थ मन्त्रालय                     | २८२२१४  | ३३४८००  |
| १२ | ३६ | आपूर्ति मन्त्रालय                  | ३६६६    | २२६०००  |
| १३ | ३७ | आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय     | ९४६०३   | १६७८०९० |
| १४ | ३८ | उद्योग मन्त्रालय                   | २३२४८२  | २७९२१४  |
| १५ | ३९ | कानून तथा न्याय मन्त्रालय          | १६४७९   | १६४७९   |
| १६ | ४० | कृषि मन्त्रालय                     | ९२९१६   | २२६७१९३ |
| १७ | ४५ | गृह मन्त्रालय                      | २९२९२७५ | ४९१४    |
| १८ | ४६ | जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय     | ५४५६    | २५३१०   |
| १९ | ४७ | जलस्रोत मन्त्रालय                  | १२८३२१  | ३०७८६५३ |
| २० | ४८ | निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय      | १७७९२०  | ४६६२३२३ |
| २१ | ४९ | पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय | ११०३३७  | १०१०३१७ |
| २२ | ५० | परराष्ट्र मन्त्रालय                | ६०३८२०  | ६०३८२०  |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



|    |    |                                     |         |         |         |
|----|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| २३ | ५५ | भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय    | २२३०७५  | २४२४२९  | ४६५५०४  |
| २४ | ५६ | महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय     | ४७५६५   | १६३२५   | ६३८९०   |
| २५ | ५७ | युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्रालय | ८३१७६   | ६०२०८०  | ६८५२५६  |
| २६ | ५८ | रक्षा मन्त्रालय                     | २६३०७८१ |         | २६३०७८१ |
| २७ | ५९ | वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय         | ५६४०७२  | ५१५३८६  | १०७९४५८ |
| २८ | ६० | वाणिज्य मन्त्रालय                   | २०२६०   | ११६४०१  | १३६६६१  |
| २९ | ६१ | विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय       | १२७५४   | १२६००३  | १३८७५७  |
| ३० | ६२ | शिक्षा मन्त्रालय                    | ५४५५४७६ | २६५९४४६ | ८११४९२२ |
| ३१ | ६६ | सामान्य प्रशासन मन्त्रालय           | ३५३५०   | ३०००    | ३८३५०   |
| ३२ | ६७ | सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय          | ५८७२४०  | ९१०८२   | ६७८३२२  |
| ३३ | ६८ | संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय           | २०२८    |         | २०२८    |
| ३४ | ६९ | स्थानीय विकास मन्त्रालय             | २९३१९   | ४२३२४३९ | ४२६१७५८ |
| ३५ | ७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय                 | ११३८८४३ | २७११९६  | ३८५००३९ |
| ३६ | ७१ | श्रम मन्त्रालय                      | १२५८२   | ६३६४८   | ७६२३०   |
| ३७ | ७२ | राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय      | ४९३०१   | २४७७२   | ७४०७३   |

आधिकारिकता मुद्रण (विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ)



|    |    |                                          |          |          |          |
|----|----|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| ३८ | ८६ | अर्थ मन्त्रालय - लगानी वैदेशिक संस्थाहरु | २५४००    |          | २५४००    |
| ३९ | ८७ | अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्थान |          | ८७५३५४३  | ८७५३५४३  |
| ४० | ८८ | अर्थ मन्त्रालय - लगानी अन्य              |          | १२००००   | १२००००   |
| ४१ | ९५ | अर्थ मन्त्रालय - विविध                   | ३५४६५००  | २८२७००   | ३८२९२००  |
|    |    | जम्मा                                    | १९६११२४१ | ३४०३८८४८ | ५३६५००८९ |

आज्ञाले,  
उदय नेपाली श्रेष्ठ  
श्री ५ को सरकारको का.मु.सचिव

लालमोहर सदर मिति: २०५४।६।२०। २

आधिकारिकता मुद्रण विभाग(३) प्रमाणित गरिएको छ, मात्र लागु हुनेछ।

सदर विभाग सिन्धुदरबार काठमाण्डौमा मिति ।



